मुख्यालय
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
"गौरा देवी पर्यावरण भवन"
46बी, आई.टी. पार्क, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून–248001
Web: www.ueppcb.uk.gov.in. E-mail: msukpcb@yahoo.com

पत्रांक–यूकेपीसीबी/एच.ओ./सा0-546/2022/1432, दिनांक 02.12.2022

कार्यालय आदेश

प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 (यथा–संशोधित) के अन्तर्गत Producers, Brand Owners एवं Importers, जो बहुस्तरीय प्लास्टिक शैशे या पॉउच या पैकेजिंग प्लास्टिक का उपयोग करते हुये अपने उत्पादों को बाज़ार में पेश करते हैं, को Extended Producers Responsibility (EPR) के तहत केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विकसित पोर्टल (cpcbeprplastic.in) में पंजीकरण किया जाना एवं EPR Action Plan जमा किये जाने के क्रम में मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा रिट पिटीशन (PIL) सं0 93/2022 में दिनांक 07.07.2022 में अन्य निर्देशों के साथ–साथ यह आदेश पारित किया गया है कि:–

16. We also direct that those producers, importers and brand owners, who do not register with the Uttarakhand State Pollution Control Board within the next fifteen days, shall not be permitted to either produce, or import into the State of Uttarakhand, or sell products of their brands, in the State of Uttarakhand, and the State shall ensure that all such products, which are contained in plastic sachets or pouches or packaging, are not permitted to enter the boundary of the State, or sold, in any manner whatsoever. Wide publicity shall be given to these directions by the State, so that all concerned have notice of it.

17. Since the primary responsibility for collection of used multi-layered plastic, sachets, or pouches, or packaging is of the producers, importers and brand owners, and it is their obligation to prepare their plan for collection and to submit the same to the Uttarakhand State Pollution Control Board while applying for consent, the Uttarakhand State Pollution Control Board shall also require all producers, importers and brand owners to strictly comply with their requirements. The affidavit to be filed by the Uttarakhand State Pollution Control Board should also indicate as to how many producers, importers and brand owners have provided the said plans, and those producers, importers and brand owners, who do not provide their plans for collection in the next 15 days, shall not be permitted to either produce, import or sell their brands, in the State of Uttarakhand, in plastic receptacles.

मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड द्वारा रिट पिटीशन (PIL) सं0 93/2022 में पारित आदेशों के अनुपालन में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिनांक 16.07.2022 एवं 21.07.2022 को दैनिक समाचार–पत्रों के माध्यम से Producers, Brand Owners एवं Importers को सूचना/नोटिस प्रकाशित किया गया व क्षेत्रीय अधिकारियों के माध्यम से Producers, Brand Owners एवं Importers को अवगत कराया गया।

मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड के आदेशों के क्रम में दिनांक 02.12.2022 तक उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा कुल 75 एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा कुल 1654 Producers, Brand Owners एवं

Importers का पंजीकरण किया गया है तथा कुल 05 (M/s Britannia Industries Ltd., M/s Reckitt Bensiker Ltd., M/s Perfitte Van melle India Pvt. Ltd., M/s Hindustan Unilever Ltd. and M/s Patanjali Ayurved Ltd.) Producers, Brand Owners एवं Importers द्वारा EPR Action Plan उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में जमा किया गया है।

अतः एतत्द्वारा प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 (यथा–संशोधित) एवं मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड के रिट पिटीशन (PIL) सं0 93/2022 में पारित आदेशों के अनुपालन न किये जाने के कारण समस्त Producers, Brand Owners एवं Importers (EPR Action Plan जमा किये 05 ईकाईयों को छोड़कर) के संचालनार्थ सहमति तत्काल प्रभाव से निरस्त की जाती है एवं निर्देशित किया जाता है कि बिना संचालनार्थ सहमति प्राप्त किये ईकाईयों का संचालन विधि विरूद्ध व मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड के आदेशों की अवमानना होगी।

(एस0पी0 सुबुद्धि)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण संरक्षण व जलवायु परिवर्तन, उत्तराखण्ड शासन/अध्यक्ष, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल/कुमाऊ मंडल, उत्तराखण्ड।
3. निदेशक, औद्योगिक विकास विभाग, पटेल नगर, देहरादून।
4. निदेशक, शहरी विकास निदेशायल, 31/62 राजपुर रोड़, देहरादून।
5. निदेशक, पंचायती राज विभाग, डांडा लौखण्ड, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून/रूड़की/काशीपुर/हल्द्वानी।
8. गार्ड फाईल।

सदस्य सचिव